मै0 न्यू हिल्स माईन एण्ड मिनरल्स सोप स्टोन माईन, किडई बैंड बंसरीधार, ग्राम–किडई, पो0–होराली, त0 एवं जिला–बागेष्वर की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु दिनांक 08.08.2014 को आयोजित लोक सुनवाई का कार्यवृत्त।

मै0 न्यू हिल्स माईन एण्ड मिनरल्स सोप स्टोन माईन, किडई बैंड (बंसरीधार), ग्राम–किडई, पो0–होराली, त0 एवं जिला–बागेश्वर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु बोर्ड मुख्यालय, देहरादून में प्रस्ताव प्राप्त हुआ। ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 2006 यथासंशोधित (2009) के अनुसार इस तरह की परियोजनाओं हेतु पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार से अनुमति लिए जाने का प्राविधान है। उक्त लोक सुनवाई के सम्बन्ध में बोर्ड मुख्यालय द्वारा सुनवाई की जन सूचना दैनिक समाचार पत्र दैनिक जागरण एवं हिन्दुस्तान टाईम्स में दिनांक 19.06.2014 को प्रकाशित करायी गयी।

उपरोक्त अनुक्रम में क्षेत्रीय कार्यालय, हल्द्वानी द्वारा लोक सुनवाई से सम्बन्धित परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपलब्ध कराये गये परियोजना से सम्बन्धित ई.आई.ए. रिपोर्ट व सारांश अभिलेख जन सामान्य के अवलोकनार्थ एवं आपत्तियों हेतु जिलाधिकारी कार्यालय, बागेश्वर, जिला पंचायत अधिकारी कार्यालय, जिला पंचायत बागेश्वर, महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र, बागेश्वर, क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, लखनऊ, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद, बागेश्वर, ग्राम पंचायत अधिकारी, बागेश्वर, खण्ड विकास अधिकारी, बागेश्वर को पत्र वाहक के माध्यम से प्राप्त करा दी गयी थी।

उपरोक्त के कम जिलाधिकारी महोदय, बागेश्वर की अध्यक्षता में दिनांक 08.08.2014 को प्रातः–11.00 बजे, किडई बैंड (बंसरीधार), ग्राम–किडई, पो0–होराली, त0 एवं जिला–बागेश्वर लोक सुनवाई आहूत की गयी।

लोक सुनवाई में सर्वप्रथम डॉ0 डी.के.जोशी, क्षेत्रीय अधिकारी, यू.ई.पी.पी.सी.बी., हल्द्वानी द्वारा कार्यकम की अध्यक्षता कर रहे जिलाधिकारी मोहदय, बागेश्वर से लोक सुनवाई प्रारंम्भ करने की अनुमति चाही गयी तथा उपस्थित जन सामान्य से सुझाव/आपत्तियां लिखित या मौखिक रूप से देने का अनुरोध किया गया। जिलाधिकारी महोदय, द्वारा अनुमति दी गयी।

तदोपरान्त् क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा मै0 न्यू हिल्स माईन एण्ड मिनरल्स सोप स्टोन माईन, के कन्सलटेन्ट, श्री सुभाष कुमार, सहायक प्रबन्धक, ग्रास रूट्स रिसर्च एण्ड किएशन इण्डिया प्रा0 लि0, को परियोजना के सम्बन्ध मे प्रस्तुतीकरण देने को कहा।

श्री सुभाष कुमार, द्वारा स्लाईड शो के माध्यम से परियोजना के सम्बन्ध में विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया गया।

प्रस्तुतीकरण की समाप्ति पर क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा लोक सुनवाई में उपस्थित जनता/जनप्रतिनिधयों से पुनः उक्त परियोजना के सम्बन्ध में विचार रखने हेतु कहा गया। सुनवाई में उपस्थित जनता/जनप्रतिनिधियों में से निम्न लोगो ने अपने विचार रखें–

1. **श्री धनसिंह भोंयाल, ग्राम–कुरौली,** द्वारा लोक सुनवाई की अध्यक्षता कर रहे जिलाधिकारी, बागेश्वर व क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदषूण नियंत्रण बोर्ड तथा उपस्थित जनता/जनप्रतिनिधियों को स्वागत किया गया। उनके द्वारा सोप स्टोन माईन्स की स्थापना पर सहमति दर्शायी। उनके द्वारा उद्योग स्वामी से क्षेत्र में स्वच्छ पेयजल, स्वास्थय सम्बन्धी सुविधायें, बच्चों की शिक्षा, रोजगार तथा समस्त सामाजिक कार्यो में सहयोग देने हेतु कहा गया।

2. **श्री चन्द्र सिंह चौहान, रिटायर्ड नायब सूबेदार, ग्राम–किडई** द्वारा सभा में उपस्थित जिलाधिकारी महोदय तथा क्षेत्रीय अधिकारी, का हार्दिक स्वागत किया। उनके द्वारा कहा गया कि बडा हर्ष का विषय है कि सोप स्टोन माईन्स हमारे क्षेत्र में लग रही है। उनके द्वारा कहा गया है कि हमारा देश सौभाग्यशाली देश है, जो हमे खनिज सम्पदा दे रहा है। इस उद्योग के लगने से क्षेत्र के बच्चों को रोजगार मिलेगा तथा सीखने का मौका मिलेगा। उनके द्वारा खडिया के लोडिंग व अनलोडिंग को मेन रोड से दूर करने तथा उनके लिए अलग से रास्ता बनाया जाय व सडक व्यवस्था को दुरस्त किये जाने हेतु अनुरोध किया गया। सडक में लोडिंग व अनलोडिंग होने के कारण क्षेत्र की महिलाओं व बच्चो का आवागमन में परेशानी का सामना करना पडता है। उनके द्वारा भविष्य में अन्य कोई खनिज पट्टा न लाने की मांग भी की गयी तथा जंगल की लकडी का प्रयोग न किया जाय। उनके द्वारा उक्त माईन्स में काम करने वाले लोगों के परिचय पत्र बनाने तथा उनके रिकोर्ड भी रखने को कहा गया। अन्त में उनके द्वारा उक्त माईन्स को लगने में सहमति जताई तथा कहा कि काम अच्छा काम हो समस्त गांव वाले मदद करेंगें व उद्योग स्वामियों से क्षेत्र के सभी लोगों के विकास व हित करने की बात रखी।

3. **श्री कैलाष पाण्डे, ग्राम–प्रचार, षिक्षक** द्वारा सभी उपस्थित लोगों का अभिनन्दन व स्वागत किया गया। उनके द्वारा कहा गया कि उन्हे खनन की जानकारी नही थी। उनके द्वारा कहा गया कि उद्योग लगने से इस क्षेत्र के लोगों को रोजगार मिलेगा। उनके द्वारा कहा गया कि सरकार ने रोजगार के साधन बन्द कर दिये है। यहां के क्षेत्र के लोगों का पलायन हो रहा है। इस उद्योग के लगने से लोगों को रोजगार मिलेगा, जिससे क्षेत्र से पलायन रूक जायेगा। उनके द्वारा उद्योग स्वामियों से अधिक से अधिक पेड लगाये जाने की मांग की है तथा क्षेत्र के शिक्षा व अन्य सामाजिक कार्यों

में सहयोग देने को कहा। उनके द्वारा भी खडिया के लोडिंग व अनलोडिंग को मेन रोड से दूर करने तथा उनके लिए अलग से रास्ता बनाया जाने व सडक व्यवस्था को दुरस्त किये जाने की मांग की। सडक में लोडिंग व अनलोडिंग होने के कारण क्षेत्र की महिलाओं व बच्चो का आवागमन में परेशानी का सामना करना पडता है। उनके द्वारा भी उक्त माईन्स में काम करने वाले लोगों के परिचय पत्र बनाने तथा उनके रिकोर्ड भी रखने को कहा गया। अन्त में उनके द्वारा कहा गया कि उक्त खनन के लगने से उन्हे काई आपत्ति नही है।

4. **श्री योगेष हरडिया, पूर्व प्रधान, ग्राम–सुरकाली** द्वारा द्वारा सभी उपस्थित लोगों का अभिनन्दन व स्वागत किया गया। उनके द्वारा कहा गया कि खडिया का उद्योग एक लघु उद्योग के रूप में आया है। आज सरकार से ज्यादा रोजगार खनन स्वामियों द्वारा दिया जा रहा है। खनन स्वामियों द्वारा सहयोग किया जाता है। क्षेत्र से पलायन रूक गया है। उनके द्वारा गांव में शिक्षा के क्षेत्रों में बढावा देने की बात की। उनके द्वारा बताया गया कि लगभग 3 वर्षो से इस क्षेत्र में मेडिकल कैम्प नही लगा है। उनके द्वारा खनन स्वामियों से मेडिकल कैम्प लगाये जाने के लिए कहा गया, जिससे गांवो वालों के ईलाज में सुविधा हो सके। उनके द्वारा अधिक से अधिक वृक्षा रोपण करने व उनके देखरेख करने की बात कही। उनके द्वारा भी उक्त माईन्स में काम करने वाले लोगों के परिचय पत्र बनाने तथा उनके रिकोर्ड भी रखने को कहा गया। अन्त में उनके द्वारा कहा गया कि क्षेत्र के खनन स्वामियों द्वारा हर क्षेत्र में सहयोग किया जाता है।

5. **श्री एम.एस.राठौर, पट्टेदार के प्रतिनिधि** द्वारा सभी उपस्थित लोगों का आभार व्यक्त किया गया तथा क्षेत्र की समस्यों का ध्यान रखने व गांवो में वृक्षारोपण की बात भी कही तथा मेडिकल कैम्प लगाये जाने का भी आश्वासन दिया गया। उनके द्वारा यह भी कहा गया कि जो भी खनन का कार्य किया जायेगा व नियमों को ध्यान में रखतें हुए किया जायेगा।

तत्पश्चात जिलाधिकारी, महोदय द्वारा समस्त उपस्थित लोगों को लोक सुनवाई के बारे में बताया व खनन के बारें में जानकारी दी। उनके द्वारा सोप खनन से निकलने वाले मैटेरियल की उपयोगिता के बारे भी जानकारी दी। उनके द्वारा खनन स्वामियों का वृक्षारोपण करने तथा माईन्स में काम करने वाले सभी लोगों का पहचान पत्र बनाने हेतु निर्देश दिये। उनके द्वारा खनन स्वामियों से क्षेत्र के लोगों के विकास व उनका सहयोग करने की बात भी रखी तथा क्षेत्र के वासियों को भी मिल–जुल कर कार्य करने की बात की

उक्त सुनवाई के दौरान लगातार वीडियोग्राफी व फोटोग्राफी की गयी। तत्पश्चात क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा लोक सुनवाई में उपस्थित जनता/जनप्रतिनिधियों से आग्रह किया गया कि यदि कोई लिखित या मौखिक रूप से कोई सुझाव या आपत्ति देना चाहें तो दे सकते हैं।

तत्पश्चात क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा जिलाधिकारी महोदय, की अनुमति से दोपहर 2.00 बजे लोक सुनवाई के समापन की घोषणा की गयी। अन्त में क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा जन सुनवाई में उपस्थित सभी लोगों को आभार व्यक्त किया गया।

(डॉ0 डी0के0जोशी)

क्षेत्रीय अधिकारी

यू.ई.पी.पी.सी.बी, हल्द्वानी।

(भूपाल सिंह मनराल)

जिलाधिकारी, बागेश्वर।

[illegible] Mining [illegible] (Soap Stone [illegible]) [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] बागेश्वर की [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] उपस्थित लोगों की उपस्थिति का विवरण :-

	नाम	पता	फोन	हस्ताक्षर
1	[illegible]	[illegible] Bageshwar		[illegible]
2	डा. [illegible] के. जोशी [illegible]	UEPPCB, Haldwani	9412998572	[illegible]
3	R.S. [illegible]	[illegible] Haldwani	—	[illegible]
4	[illegible] Singh	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]		[illegible]	[illegible]
5				
6	[illegible]		—	[illegible]
7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
9	[illegible]	[illegible]	9451860952	[illegible]
10	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
11	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
12	[illegible]	[illegible]	9536290604	[illegible]
13	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
14	[illegible]	[illegible]	9410194264	[illegible]

15.	[illegible]	[illegible]	9458305541	[illegible]
16.	Himmat SINGH	KIRAYE	94......................	[illegible]
17.	[illegible]	[illegible]	3756560508	[illegible]
18.	Kamal	[illegible]	9456288581	[illegible]
19	[illegible]	KIRON	9412167095	[illegible]
20	M charmeus	[illegible]	—	
21	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
22	[illegible]	[illegible]	...65563 48	[illegible]
23.	[illegible]	[illegible]	9410182652	[illegible]
24	[illegible]	[illegible]	7595034469	[illegible]
25.	[illegible]	[illegible]	9457308...	[illegible]
26	[illegible]	[illegible]	7830441502	[illegible]
27	[illegible]	[illegible]	9412477085	[illegible]
28	Dinesh Singh	[illegible]	9412692588	[illegible]

29	[illegible] HANCHHACHI	[illegible] Chauhan	[illegible] 9468 2595	[illegible]
30	[illegible]	[illegible]	9675857983	[illegible]
31	[illegible]	[illegible]	9760013422	[illegible]
32	[illegible]	[illegible]	[illegible]9380205	[illegible]
33	[illegible]	[illegible]	9412679758	[illegible]
34	Sundar Chauhan	Kirai	9410936101	S Chauhan
35	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
36	[illegible] Singh	Kider	9412100636	[illegible]
37	Sanjay Singh	Kirali	9410754674	[illegible]
38	[illegible]	[illegible]	9756683612	[illegible]
39	[illegible]	[illegible]	9453[illegible]	[illegible]
40	[illegible]	[illegible]	7830180642	[illegible]
41	Sunil [illegible]	[illegible]		[illegible]
42	Pratap [illegible]	[illegible]	24001 [illegible]	[illegible]
43	[illegible]	[illegible]		[illegible]

44	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
45	[illegible]	[illegible]	9458079902 9459304478	[illegible]
46	[illegible]	[illegible]	9756394336	[illegible]
47	[illegible]	[illegible]	[illegible]35199218	[illegible]
48	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
49	[illegible]	[illegible]	7579144240	[illegible]
50	[illegible]	[illegible]		[illegible]
51	[illegible]	[illegible]	9410412682	[illegible]
52	[illegible]	[illegible]		[illegible]
53	[illegible]	[illegible]	7409345210	[illegible]
54	भरत कुमार	[illegible]		[illegible]
55	[illegible]	[illegible]		[illegible]
56	[illegible]	[illegible]		Chhatar Singh
57	[illegible]	[illegible]		[illegible]
58	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

	नाम	पता	फोन	हस्ताक्षर
59	[illegible]	[illegible]		[illegible]
60	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
61	[illegible]	[illegible]	—	[illegible]
62	[illegible] Singh	[illegible]	912775549	[illegible]
63	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
64	[illegible]	[illegible]	9410309605	[illegible]
65	[illegible]	[illegible]		[illegible]
66	[illegible]	[illegible]	—	[illegible]
67	[illegible]	[illegible]	—	
68	[illegible]	[illegible]	—	[illegible]
69	[illegible]	[illegible]		[illegible]
70	[illegible]	[illegible]		[illegible]
71	[illegible]	[illegible]		[illegible]
72				

	नाम	पता	फोन	हस्ताक्षर
59	[illegible]	[illegible]		[illegible]
60	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
60	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
61	[illegible]	[illegible]	—	[illegible]
62	Ramesh Singh	[illegible]	912775549	[illegible]
63	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
64	[illegible]	[illegible]	9410309605	[illegible]
65	[illegible]	[illegible]		Kal
66	[illegible]	[illegible]	—	[illegible]
67	[illegible]	[illegible]	—	
68	[illegible]	[illegible]		[illegible]
69	[illegible]	[illegible]		[illegible]
70	[illegible]	[illegible]		[illegible]
71	[illegible]	[illegible]		[illegible]
72				